



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक-20.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. नागेन्द्र उर्फ बाबा पुत्र बहादुर सिंह निवासी रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद 2. पन्नालाल पुत्र अहिवरन सिंह निवासी अनूप नगला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 169/2002 वाद स०- 348/2002 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 20.11.2024 को मा० न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



कोर्ट मोहर्रि हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० विक्रम सिंह

